



अस्थायी कुशलता अभाव [Temporary Skill Shortage] वीज़ा (उपवर्ग 482) या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) [Temporary Work (Skilled)] वीज़ा

COVID-19 का परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, या यदि आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो भी आपको जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- [ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र](#)
- [न्यू साउथ वेल्स](#)
- [उत्तरी राज्य-क्षेत्र](#)
- [क्वींसलैंड](#)
- [दक्षिण ऑस्ट्रेलिया](#)
- [तस्मानिया](#)
- [विक्टोरिया](#)
- [पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया](#)

मेरे पास अस्थायी कुशलता अभाव [Temporary Skill Shortage] वीज़ा (उपवर्ग 482) या अस्थायी कार्य (कुशलता-प्राप्त) [Temporary Work (Skilled)] वीज़ा (उपवर्ग 457) है

स्टुड डाउन [stood down] किए गए परंतु कार्यच्युत नहीं किए गए अस्थायी कुशलता अभाव [Temporary Skill Shortage] और उपवर्ग 457 के वीज़ा धारकों का वीज़ा वैध रहेगा और व्यवसायों को सामान्य व्यवस्थाओं के अनुसार आपके वीज़ा को विस्तारित करने का अवसर प्राप्त होगा।

व्यवसाय आपके द्वारा वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन या आपके कार्य-नियोक्ता के दायित्वों में उल्लंघन के बिना आपके कार्य के घंटे कम कर पाने में सक्षम होंगे।

आपकी नौकरी चले जाने की स्थिति में उपलब्ध विकल्प

यदि आपकी नौकरी चली गई है और आप इस समय बेरोजगार हैं, तो आपको 60 दिनों के अंदर किसी दूसरे कार्य-नियोक्ता की खोज करनी होगी, या यदि संभव हो तो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर जाने की व्यवस्थाएँ करनी होगी।

यदि आप अपने गृह-देश वापिस जाने में असमर्थ हैं, तो आपको एक वैध वीज़ा बनाए रखना और आवश्यकता होने पर ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य सलाह का पालन करना अनिवार्य है।

ऐसे अस्थायी कार्य वीज़ा धारक जो वर्तमान में COVID-19 से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत हैं – स्वास्थ्य देखभाल, वृद्ध और विकलांगता देखभाल, शिशु देखभाल, या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण - वे [अस्थायी कार्य वीज़ा \(उपवर्ग 408\) ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अनुमोदित सहमति आयोजन धारा \(COVID-19 महामारी घटना वीज़ा\) \[Temporary Activity Visa \(subclass 408\) Australian Government Endorsed Agreement Event stream \(COVID-19 Pandemic event visa\)\]](#) के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करने वाले वीज़ा धारक

यदि आपको स्टुड डाउन [stood down] किया गया है परंतु कार्यच्युत नहीं किया गया है और आप अपने जीपन-यापन के तत्काल खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहे/रही हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने ऑस्ट्रेलियाई सुपरएन्युएशन में से अधिकतम \$10,000 की कर-मुक्त धनराशि सुलभ हो सकती है।

कृपया [ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय का समयपूर्व सुपरएन्युएशन की सुलभता](#) वेबपृष्ठ देखें।

COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic event visa]

यदि आपके अस्थायी कार्य वीज़ा की अवधि समाप्त हो रही है, आप किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम नहीं कर रहे/रही हैं, आप प्रवेश-संबंधी प्रतिबंधों के कारण अपने गृह-देश वापिस जाने में असमर्थ हैं और आप किसी भी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आप संभावित रूप से COVID-19 महामारी घटना वीज़ा [COVID-19 Pandemic event visa] के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं।

आपको यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी कि आप किसी भी अन्य वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं कर सकते/सकती हैं। इसमें एक कथन और इस बात का प्रमाण शामिल हो सकता है कि अगले वीज़ा के आवेदन शुल्क (वीएसी) [Visa Application Charge (VAC)] का भुगतान करने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि सुलभ नहीं है।